

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
आदेश

संख्या : 4/वन भूमि-260/2025...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

नालंदा जिलान्तर्गत ब्लॉक मुख्यालय में मिनीलिक के प्रतिस्थापन के लिए OFC बिछाने तथा OFC पर लाईव ग्राम पंचायत बनाने हेतु 0.0569 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/BR/OFC/ 524274/ 2025 दिनांक-06.03.2026 द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक-FC-1064 दिनांक-13.08.2026 द्वारा स्टेज-1 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक-5119, दिनांक-21.08.2026 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/BR/OFC/524274/2025 दिनांक-12.09.2026 द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत ब्लॉक मुख्यालय में मिनीलिक के प्रतिस्थापन के लिए OFC बिछाने तथा OFC पर लाईव ग्राम पंचायत बनाने हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0569 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है :-

1. Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation: The State Forest Department shall plant 100 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. Trench size shall not be more than two meter in depth and on meter in width.
5. After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.
6. The user agency will seek permission from the local Forest Division for carrying out any maintenance.
7. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake appropriate afforestation or vegetation enrichment measures near the site(s) related to the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

8. Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.
9. No labour camp shall be established on the forest land.
10. The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
11. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
12. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.
15. The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
16. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.
17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken accordingly.
18. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests and wildlife.

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—F.N.7-23/2012-FC दिनांक—24.07.2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक—FP/BR/OFC/524274/2025 दिनांक—12.09.2026 द्वारा दी गई अंतिम स्वीकृति में लगाए गए शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तावित 0.0569 हे० वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी, अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति स्थानीय निकाय प्रधान को उनके कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ सौपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा अपयोजित होने वाली 0.0569 हे० वन भूमि को OFC बिछाने तथा OFC पर लाईव ग्राम पंचायत बनाने हेतु अंतिम रूप से विमुक्त करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज किया जायेगा तथा इसका सीमांकन कराया जायेगा एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :-4/वन भूमि-260/2025.5924/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 21/9/26

प्रतिलिपि :-सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची-834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

डी०ई० (नालंदा), BSNL Telephone Exchange, Biharsharif को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाइल में संधारण आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.9.2026
(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव